

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 222/2023 राजस्व वाद

01. शंकर लाल पुत्र श्री लालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी- चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ----- वादी

बनाम

01. जमना पुत्री श्री मोहन लुहार आयु वयस्क निवासी- खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नारायण लाल पुत्र श्री मांगी लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी- बरावलो का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. प्यारी पुत्री श्री मोहन लुहार आयु वयस्क निवासी- खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. परमेश्वर नाथ पुत्र श्री गणेश नाथ जोगी आयु वयस्क निवासी- खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. मांगी पुत्री श्री मोहन लुहार आयु वयस्क निवासी- खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. रामलाल पुत्र श्री नन्दा लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी- उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. सोहन पुत्र श्री मोहन लुहार आयु वयस्क निवासी- खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. हरदेव पुत्र श्री चतरभुज गुर्जर आयु वयस्क निवासी- चौहानो की कमेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ----- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन,
2. एकपक्षीय-
2. परोकार सरकार

-अधिवक्ता वादी

प्रतिवादीगण

-अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक- 16.10.2023

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम शामिल की जातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामिल होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

**उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा**

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 08 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैंने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 103 में आराजी नम्बर 321 रकबा 0.0885 हैक्टर, आराजी नम्बर 322 रकबा 0.1770 हैक्टर, आराजी नम्बर 323 रकबा 0.3920 हैक्टर, आराजी नम्बर 324 रकबा 0.6576 हैक्टर, आराजी नम्बर 332 रकबा 0.0506 हैक्टर, आराजी नम्बर 333 रकबा 0.0506 हैक्टर, आराजी नम्बर 334 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 335 रकबा 0.0379 हैक्टर, आराजी नम्बर 336 रकबा 0.0885 हैक्टर, आराजी नम्बर 337/2 रकबा 0.2150 हैक्टर, आराजी नम्बर 338 रकबा 0.1770 हैक्टर, आराजी नम्बर 339 रकबा 0.3288 हैक्टर, आराजी नम्बर 340/1 रकबा 0.1265 हैक्टर कुल किता 13 रकबा 2.4532 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(1) खातेदार का नाम- शंकर लाल पुत्र श्री लालू 1/5 गुर्जर सा. चिलेश्वर , नारायणलाल पुत्र श्री मांगी लाल 1/5 साकिन बरावलो का खेड़ा, परमेश्वर नाथ पुत्र गणेशनाथ 1/5 जोगी सा. रेह , रामलाल पुत्र श्री नन्दा लाल गुर्जर 1/5 सा. उदयराम जी का गुड़ा, हरदेव पुत्र श्री चतरभुज 1/5 गुजर साकिन चौहानो की कमेरी के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर में)
1	321/1	0.0865 हैक्टर
2.	322/1	0.1738 हैक्टर
3.	323/1	0.1659 हैक्टर
4.	338/1	0.0644 हैक्टर
योग	कुल किता 04	0.4906 हैक्टर

(2) खातेदार का नाम- जमना पुत्री मोहन 1/4 जाति लुहार सा. देह , प्यारी पुत्री श्री मोहन 1/4 जाति लुहार सा. देह खातेदार , मांगी पुत्र श्री मोहन 1/4 जाति लुहार सा.देह , सोहन पुत्र श्री मोहन 1/4 जाति लुहार सा. देह के नाम पर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	321 / 2	0.0020 हैक्टयर
2.	322 / 2	0.0032 हैक्टयर
3.	323 / 2	0.2261 हैक्टयर
4.	324	0.6576 हैक्टयर
5.	332	0.0506 हैक्टयर
6.	333	0.0506 हैक्टयर
7.	334	0.0632 हैक्टयर
8.	335	0.0379 हैक्टयर
9.	336	0.0885 हैक्टयर
10.	337 / 2	0.2150 हैक्टयर
11.	338 / 2	0.1126 हैक्टयर
12.	339	0.3288 हैक्टयर
13.	340 / 1	0.1265 हैक्टयर
योग	कुल किता 13	1.9626 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानिया)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)